Sugg- Inclusion of Saurabh Vihar in Zone 'F' in place of Zone 'O'

✹ जय हिन्द ✹

पंजी. संख्या : S/29876

SRWA

सौरभ विहार रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिऐशन (रजि०)

कार्यालय : एन-349/13, अमर मार्किट, सौरभ विहार, हरिनगर विस्तार, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
दूरभाष कार्यालय : 011-26665555

भागीदारी
नागरिक-सरकार साझेदारी

[D]irector (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 391
Dated 15/11/11

सेवा में,
श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

पत्रांक

दिनांक 10/11/2011

अध्यक्ष :
रमाशंकर दीक्षित
निवास : 26665555
मोब. : 9968910919

उपाध्यक्ष :
श्री शिवनाथ सिंह
मोब. : 8826926429

महासचिव :
श्री राजकुमार
मोब. : 9868904927

सचिव :
श्री पवन कुमार झा
मोब. : 9871594811

कोषाध्यक्ष :
श्री गंगा सागर
मोब. : 9871595565

सदस्य :
श्री सुनील भट्ट
मोब. : 9818552032

सदस्य :
श्री अमर नाथ झा
मोब. : 9654604127

विषय : मास्टर प्लॉन 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कॉलोनी (एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, जैतपुर वार्ड सं. 201) को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन !

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कॉलोनी एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, सौरभ विहार, जैतपुर वार्ड सं. 201 (रजि. नं. 84), बदरपुर, नई दिल्ली–44 दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची में 84 पर सूचीबद्ध है तथा वर्ष 2008 में यु.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एंव दिल्ली सरकार के द्वारा उक्त कॉलोनी को 17.9.2008 में अस्थाई प्रमाण–पत्र दिया जा चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लॉन 2021 में हमारी कॉलोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनूरुप है।

हमारी कॉलोनी एन–ब्लॉक, अमर मार्केट, सौरभ विहार, जैतपुर वार्ड सं. 201 यमुना नदी से लगभग 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं। हमारी कॉलोनी के बाद कुछ और कॉलोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव–बसन्तपुर, इस्माईलपुर व अगवानपुर व हरियाणा की कुछ कॉलोनियां भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारी कॉलोनी से मात्र कुछ मीटर की दूरी एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कॉलोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

<u>फोट कॉपी संलग्न है : 17.9.2008 को जारी किया गया अस्थाई प्रमाण–पत्र</u>

आपका अपना
(हस्ताक्षर) 10/11/2011
रमाशंकर दीक्षित (अध्यक्ष)
सौरभ विहार रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिऐशन (रजि०)
एन–349/13, अमर मार्किट,
सौरभ विहार,
बदरपुर, नई दिल्ली–44
फोन : 011–26665555,
मोब. : 011–20554707, 9968910919
rwanblock.saurabhvihar@gmail.com

<u>प्रतिलिपि :</u>

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली
7. श्री राम सिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधान सभा

DELHI GOVERNMENT
TEAM DELHI • MAKING THINGS HAPPEN

969

Provisional Certificate of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/ Dated : 17/09/2008

It is certified that the residents of Amar Market, Saurabh Vihar, N-Block, unauthorised colony, having Regd. number 84, represented through Sh/Ms. Ram Shankar Dixit (President/Secretary) of the Resi-Welfare Association Society Ltd. (registered under the Society Registration Act, 1861) having registration number S-29876/1996 have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No. S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452 dated the 16th June, 2008, and, thus Amar Market, Saurabh Vihar N/Block unauthorised colony is provisionally regularized Hari Nagar Extn. Badarpur New Delhi-44

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

RAJ KUMAR CHAUHAN
Urban Development Minister
Govt. of NCT of Delhi

(MADHUKAR)
Joint Secretary (UC)

To,
Sh/Ms. Ram Shankar Dixit